

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-१ / १३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

ई मित्र ब्रोशर (साईज 9" x 9") का बहुरंगीय मुद्रण एवं बंधन कार्य करवाने हेतु निविदा

मुद्रणालय को 4500 ब्रोशर (इनर 24 पेज एवं कवर के 4 पेज सहित कुल 28 पेज) का कागज सहित बहुरंगीय मुद्रण एवं बंधन कार्य करवाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी फर्म से सीलबंद टू बिड पद्धति से बिड्स दिनांक 26.03.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड दो बन्द लिफाफे में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र परिशिष्ट "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

दोनों बिड्स अर्थात् तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्ध लिफाफे में अलग-अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में तकनीकी एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में बिड की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर ब्रॉशर प्रिन्टिंग कार्य करने हेतु बिड "तकनीकी बिड" तथा द्वितीय लिफाफे पर ब्रॉशर प्रिन्टिंग कार्य हेतु बिड "वित्तीय बिड" लिखा होना चाहिए। तकनीकी एवं वित्तीय बिड निर्धारित निविदा प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से ब्रॉशर प्रिन्टिंग कार्य करने हेतु बिड" लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जी-१ / १३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये दिनांक 26.03.2015 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्रॉशर में प्रयुक्त कागज बोलीदाता फर्म का होगा। ब्रॉशर के प्रयोग में आने वाले कागज का विवरण वित्तीय बिड परिशिष्ट "ब" में अंकित है। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बिड "वित्तीय बिड" लिफाफा खोला जायेगा। बिड्स प्रपत्र एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में 200/- नकद/डी.डी. द्वारा जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा तथा तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता फर्म की वित्तीय बिड को भी निविदा समिति द्वारा उसी दिन खोला जावेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार हैं। बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार कार्य की अनुमानित राशि रु. 9.00 लाख रूपये का दो प्रतिशत धरोहर राशि रु. 0.18 लाख नकद/डी.डी. के रूप में जमा कराना होगा। धरोहर राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि रु. 9.00 लाख रूपये का आधा प्रतिशत धरोहर राशि रु. 4500/- मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता फर्म को अनुमोदित राशि का पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को अनुमानित राशि के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर**

ई मित्र ब्रॉशर बहुरंगीय प्रिन्टिंग व बार्झिङ्डिंग कार्य करवाने हेतु बिड प्रपत्र प्रथम 'तकनीकी बिड'

1. बिड प्रपत्र मूल्य 200.00 रुपये
2. बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 26.03.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 26.03.2015 को अपराह्न 3.00 बजे

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....

.....

बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता

.....

फोन नं. ई-मेल मोबाइल नं.

1. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	धरोहर राशि कार्य की अनुमानित राशि 9.00 लाख का 2 प्रतिशत धरोहर राशि रु. 0.18 लाख	डी.डी. संख्या राशि	दि.
2	धरोहर राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत है। बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है (ड्राफ्ट संलग्न है)।	डी.डी. संख्या राशि	दि.
3	वैट रजिस्टेशन प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न है।		
4	बोलीदाता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति मय टिन नम्बर व पैन नम्बर	टिन नं. पैन नं.	
5	बिड के साथ एन ई व्हाइट (टेक्सचर्ड) 280 ग्राम एवं 200 ग्राम कागज का नमूना संलग्न है।		
6	वैट की निर्धारित दर		
7	बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण		
8	स्थापित यंत्रों का विवरण संलग्न है। (वी डी पी उपकरण सहित)		

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :—

- (1) यह कि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय के उक्त बिड़स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
- (2) यह कि मै/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मै/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये हैं।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मै/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड़स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर बोलीदाता

स्थान :

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

प्रपत्र "ब"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-१ / १३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-३०२०१७
फोन नं. ०१४१-२७५१४१७, २७५१३५२

ई मित्र बहुरंगीय ब्रॉशर का कागज सहित प्रिन्टिंग व बाईचिंग का कार्य करवाये जाने हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय
"वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....

.....
.....

2. मुद्रणालय के ई मित्र बहुरंगीय ब्रॉशर का कागज सहित बहुरंगीय प्रिन्टिंग व बाईचिंग का कार्य कर सप्लाई करने हेतु हमारे द्वारा बिड में प्रस्तुत दरें निम्नानुसार है :-

कार्य की अनुमानित राशि 9.00 लाख रुपये

धरोहर राशि 0.18 लाख रुपये

क्र.	विवरण	ब्रॉशर की साइज (इंच में)	तादाद	दर + वैट
1.	ई-मित्र ब्रॉशर 28 पेज का बहुरंगीय मुद्रण एवं बंधन कागज सहित कवर पेज - 4 (फोर कलर) इनर पेज - 24 (फोर कलर) (कुल 28 पेज) कवर कागज - 280 जीएसएम एनईक्हाइट (टेक्सचर्ड) टैक्स्ट कागज - 200 जीएसएम एनईक्हाइट (टेक्सचर्ड) कवर क्रीजिंग, सेन्टर स्टिच ऑनलाइन एक्वस कोटिंग सभी पृष्ठों पर मय स्पेशल एम्बॉसिंग (प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर)	9''X 9''	4500 ब्रॉशर	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर**

ई मित्र बहुरंगीय ब्रॉशर के प्रिन्टिंग व बाईचिंडिंग का कार्य करवाने हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1. मुद्रणालय को 4500 ब्रॉशर (साईज 9"X9") के कागज सहित मुद्रण का कार्य करवाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी फर्मों से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 26.03.2015 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। ब्रॉशर में प्रयुक्त कागज बोलीदाता फर्म का होगा। ब्रॉशर के प्रयोग में आने वाले कागज का विवरण वित्तीय बिड परिशिष्ट "ब" में अंकित है। बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. निविदा समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स एवं शर्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिये, जो इस कार्य के अनुभवी हो, जिसके लिए बिड दी है।
5. आपूर्ति किये जाने वाला माल मुद्रणालय द्वारा निर्धारित विवरणों के अनुसार होना चाहिये, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
7. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
8. बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
10. सभी कथित दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
11. बिड देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में ई-ब्रॉशर का मुद्रण एवं बाईचिंडिंग कर सप्लाई करने के लिए बाध्य होगी।
12. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
13. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।
14. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करना होगा जो अनुबंध का भाग होगा।

15. बिड के साथ नियमानुसार निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा करानी होगी। यह धरोहर राशि जिन फर्मों की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें बिड की अंतिम स्वीकृति होने के पश्चात स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की बिड स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन कर लिया जावेगा।
16. पूर्व में मुद्रणालय में जमा धरोहर/सिक्यूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
17. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
18. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो भी व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। मुद्रणालय को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
20. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।
मुद्रणालय अनुमोदित फर्म के लिए सप्लाई नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पडेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।
21. 1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ़ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।
2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

3. यदि परस्पर समझौता हो जाये तो बिड की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनों में विस्तार किया जा सकता है।
 4. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड को स्वीकृत करने के लिए किये गये प्रयास को अयोग्यता माना जावेगा।
21. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
22. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म को फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र (पंजीकृत प्रमाण पत्र) एवं कर निर्धारण अधिकारी से वैट (कर) चुकती प्रमाण—पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी यदि बिड देने वाली फर्म किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण—पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी बिड पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है क्य करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा बिड देने वाली फर्म से बाद में प्रमाण—पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण—पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।
23. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
24. फर्म को मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
25. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
26. प्रस्तुत दरों में वैट अतिरिक्त होगा।
27. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
28. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
29. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
30. आयकर चुकती प्रमाण पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
31. दरों में शब्दों एवं अंकों में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
32. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु वोटर आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड्स की सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

**हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म
के मय मोहर**